29.07.2024

वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील गैरसायल ने प्रार्थना प
का जवाब देते हुए प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने का
निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सुनी गई
वकील सायलान का कथन है कि भले ही मूलवाद प्रारंभिक
डिक्री किया जा चुका हो, किन्तु अभी बटवारा नही हुआ है,
इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को पाबद किया
जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।
वकील गैरसायल ने कथन किया कि गैरसायल द्वारा
सायलान को कभी बंटवारा से मना नही किया और ना ही
कभी किसी प्रकार की धमकी दी है। सायलान द्वारा
गैरसायल पर गलत तथ्यों का कथन करते हुए गलत आरोप
लगाये गये है। गैरसायल भी विवादित आराजी का बंटवारा
कराना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायलान खारिज
किये जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया,
पत्रावली का अवलोकन किया, सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र
इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि गैरसायल विवादित
आराजी का बंटवारा कराये बगैर मकान का निर्माण करना
चाहता है, तथा विवादित आराजी का बंटवारा कराना नहीं
चाहता है। गैरसायल का कथन है कि वह विवादित आराजी
का बाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बंटवारा कराना चाहता है,
मूलवाद में गैरसायल ने वादी के दावा को प्रारम्भिक डिक्री
कर बंटवारा हेतु निवेदन किया है। सायलान का मूलवाद
बंटवारे का है, एवं गैरसायल भी बंटवारा हेतु सहमत है।
पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,
जिससे यह सिद्ध होता हो कि गैरसायल द्वारा विवादित
आराजी के किसी विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा या कोई
निर्माण कार्य किया हो।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथमदृष्ट्य
सायलान को कोई भी क्षति सम्भावित नहीं है। सायला
अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को सिद्ध करने में असफल र
है। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायलान खारि
किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलव
रहे।